"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2010—श्रावण 11, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, 1932)

क्रमांक-8695/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010), जो दिनांक 2 अगस्त, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010

विषय सूची

खण्ड

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010

राज्य के विचारों की परम्परा और राज्य की समग्र भाषायी विविधता के परिरक्षण, प्रचलन और विकास करने तथा इसके लिये भाषायी अध्ययन, अनुसंधान तथा दस्तावेज संकलन, सृजन तथा अनुवाद, संरक्षण, प्रकाशन, सुझाव तथा अनुशंसाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी पारम्परिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु शासन में भाषा के उपयोग को उन्नत बनाने के लिए "छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग" का गठन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, 2010 कहलाएगा. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषायें.**

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा नामांकित आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का नामांकित सदस्य तथा जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(छ) "सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव.

3. (1) राज्य शासन, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करने एवं इसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगा. **छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन.**

(2) आयोग एक अध्यक्ष तथा चार सदस्यों से मिलकर बनेगा. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ऐसे प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होंगे, जो छत्तीसगढ़ी भाषा/छत्तीसगढ़ी साहित्य के ज्ञाता होंगे.

(3) आयोग के अध्यक्ष एवं चार सदस्य राज्य शासन द्वारा नामांकित होंगे.

4. (1) अध्यक्ष व सभी सदस्य ऐसी अवधि तक पद धारण करेंगे जो तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी या जो इस निमित्त राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित की जाये तथा यह दो कार्यकाल से अधिक की नहीं होगी. परन्तु यह कि प्रक्रिया के अनुसार एक सदस्य के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में, अध्यक्ष हेतु अवधि पुनः परिवर्तित होगी. **अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा की शर्तें.**

(2) अध्यक्ष या सदस्य, राज्य शासन को संबोधित एवं लिखित में यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी भी समय, त्याग पत्र दे सकेंगे.

(3) राज्य शासन द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपधारा 3 (3) में उल्लेखित अध्यक्ष या सदस्य के पद से पदच्युत किया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति :—

(क) प्रभारित दिवालिया हो गया हो;

(ख) जिसे नैतिक अधमता के अपराध में सम्मिलित होने के लिए सिद्धदोष एवं कारावास से दण्डित किया गया हो;

(ग) विकृत चित्त का हो जाये एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(घ) जो कार्य करने से इंकार करे अथवा कर्त्तव्य पालन में असमर्थ हो जाए;

(ङ) बिना अवकाश प्राप्त किये आयोग की निरंतर तीन बैठकों में अनुपस्थित हो; अथवा

(च) जिसने राज्य शासन के विचार से, अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि पद में उसकी निरन्तरता, लोकहित के लिए हानिकारक हो सकती हो,

परन्तु, जब तक किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता, तब तक उसे इस खण्ड के अंतर्गत नहीं हटाया जाएगा.

(4) अध्यक्ष व सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें एवं सेवा शर्तें वैसी ही होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी.

5. (1) राज्य शासन, आयोग को ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो.

(2) अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति आयोग के प्रयोजन हेतु हुई है, के वेतन एवं देय भत्ते एवं अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तें वैसी ही होंगी जैसी की राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.

वेतन एवं भत्तों का अनुदान के माध्यम से भुगतान.

6. अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन एवं देय भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसमें अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तें व पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 11 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा.

रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी.

7. आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या दोष विद्यमान होने के आधार पर, आयोग के कार्य या कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा न ही वह अवैध होगा.

आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन.

8. (1) आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा.

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया का विनियमन स्वयं करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश व निर्णय आयोग के सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी, जो इस निमित्त सचिव द्वारा उचित रीति से प्राधिकृत हों, के द्वारा अभिप्रमाणित होंगे.

आयोग की बैठक.

9. (1) आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी.

(2) बैठक की तिथि एवं समय, पिछली बैठक में यथा विनिश्चित अनुसार होगी या अध्यक्ष की

सहमति से निश्चित की जाएगी तथा जिसकी सूचना बैठक के कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित की जाएगी.

(3) अध्यक्ष, आवश्यकतानुरूप विशेष बैठक का आयोजन कर सकता है.

(4) आयोग के कम से कम 3 सदस्यों के लिखित निवेदन पर, जो बैठक के लिए नियत दिनांक से कम से कम 21 दिवस पूर्व दिया गया हो, आयोग की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी. इस अध्यपेक्षा के साथ प्रस्ताव के रूप में इस तथाकथित बैठक के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से संबंधित एक प्रतिवेदन भी संलग्न होना चाहिए.

(5) आयोग की वार्षिक बैठक निम्नांकित उद्देश्यों के लिए बुलाई जाएगी :—

(क) वार्षिक रिपोर्ट तथा विगत वित्तीय वर्ष के वार्षिक आय तथा व्यय रिपोर्ट एवं आगामी वर्ष के लिये प्रस्तावित बजट पर विचार विमर्श करने के लिए.

(ख) आयोग द्वारा आवश्यक समझी गई किसी भी तदर्थ समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए.

(ग) वर्ष की योजना को अंतिम रूप देने के लिए.

(घ) अध्यक्ष की सहमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार विमर्श करने के लिए.

(6) वार्षिक बैठक के विषय में सूचना के साथ-साथ समस्त सदस्यों को कार्य सूची तथा वार्षिक रिपोर्ट, बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 07 दिवस पूर्व प्रदान की जाएगी.

10. (1) (क) आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा या साहित्य से संबंधित विषय पर या तो स्वविवेक से या उस संबंध में प्राप्त जानकारियों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगा. **आयोग की कार्यप्रणाली (कृत्य).**

(ख) उक्त कार्यवाही अध्यक्ष के अनुमोदन से संचालित की जाएगी.

(2) आयोग की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य अपने बीच से बैठक के लिए अध्यक्ष का चयन करेंगे. इस प्रकार चयनित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं उक्त बैठक में अध्यक्ष के समस्त कार्यों का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(3) आयोग के अध्यक्ष द्वारा, आयोग के सदस्यों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जा सकेगा.

(4) जहां आवश्यक हो, आयोग द्वारा अपनी कार्यप्रणाली पृथक रूप से निर्धारित की जा सकेगी.

(5) आयोग के निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, स्वीकृत किए जाएंगे. समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

11. (1) राज्य शासन, राज्य विधान सभा के द्वारा इस निमित्त तैयार की गई उप-विधि के द्वारा देय विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी, जितनी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए उपयुक्त समझे. **राज्य शासन द्वारा अनुदान.**

(2) आयोग, ऐसी धनराशि का जितनी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य संचालन के लिए, उचित समझे, व्यय कर सकता है एवं ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया गया व्यय समझा जाएगा.

आयोग की शक्तियां एवं कर्त्तव्य.

12. (1) आयोग द्वारा उचित आय-व्यय का विवरण एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों का संधारण किया जाएगा एव आय-व्यय का वार्षिक विवरण, राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के साथ परामर्श से तैयार किया जाएगा

(2) महालेखाकार द्वारा, आयोग की आय-व्यय के विवरणों को ऐसे समयांतराल में, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अंकेक्षित किया जाएगा एवं ऐसे अंकेक्षण से संबंधित किया गया कोई भी व्यय, आयोग द्वारा महालेखाकार को भुगतान योग्य होगा.

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत महालेखाकार एवं उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, आयोग के आय-व्यय के विवरणो के अंकेक्षण के संबंध में समान अधिकार तथा विशेषाधिकार एवं प्राधिकार इस प्रकार के अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त होंगे, जैसे कि शासकीय आय-व्यय के विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में सामान्यतः महालेखाकार को प्राप्त होते हैं एवं विशेष रूप से पुस्तकों के मुद्रण, आय-व्यय विवरण, संबंधित प्रमाणन, अन्य दस्तावेजों एवं कागजात की मांग करने का एवं आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार भी प्राप्त होगा.

(4) जैसे ही महालेखाकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग के आय-व्यय का विवरण पत्र प्रमाणित होता है, उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ उसे प्रतिवर्ष आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा.

(5) आयोग ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां.

13. (1) अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के कृत्य दक्षतापूर्वक तथा नियमों, विनियमों व उप-विधियों के अनुसार चल रहे हैं;

(2) अध्यक्ष, सचिव को दिए गए निर्देश के अंतर्गत आयोग की बैठक बुलाएगा;

(3) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(4) अध्यक्ष, आयोग की किसी बैठक में सदस्यों के द्वारा दिए गए मतों की वैधता के निर्णय हेतु एकमात्र प्राधिकारी होगा;

(5) विशिष्ट मुद्दे के लिए तथा उसके विरुद्ध समान मतों की दशा में अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा.

सचिव की शक्तियां एवं कर्त्तव्य.

14. (1) आयोग का सचिव, आयोग के कृत्यों तथा निधियों के समुचित प्रशासन तथा आयोग के विविध क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा.

(2) सचिव के पास अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु शासन के विभागाध्यक्ष के समतुल्य प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां होंगी तथा उसे शक्तियां होंगी :—

(क) आयोग के विनिश्चयों तथा निर्देशों का क्रियान्वयन करने की;

(ख) आयोग की बैठकों का संचालन तथा इन बैठकों की कार्यवाहियों का लेखा रखने की;

(ग) इसके अधिकारियों सहित आयोग के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करने की;

) आयोग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के कर्त्तव्यों का निर्धारण करने की;

(ङ) ऐसे पर्यवेक्षण तथा अनुशासनीय नियंत्रण प्रयुक्त करने की, जैसा कि विहित किया जाए;

(च) उसे अन्य ऐसे कृत्य सौंपने की, जैसा कि आयोग उचित समझे.

(3) सचिव उत्तरदायी होगा :—

(क) आयोग के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के आयव्ययक तथा लेखांकन के लिए;

(ख) विविध क्रियाकलापों के समय पर क्रियान्वयन हेतु निधियों को विमुक्त करने के लिए;

(ग) कार्यक्रमों से संबंधित समस्त वित्तीय विषयों का लेखा संधारित करने के लिए;

(घ) राज्य के साथ-साथ केन्द्र शासन से निधियों को विमुक्ति हेतु निवेदनों की तैयारी तथा निवेदन के प्रत्याहरण की तैयारी एवं प्रेषण के लिए;

(ङ) आयोग के कार्यालय की विविध शाखाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए;

(च) कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के विषयों से संबंधित समस्त पहलू के लिए.

15. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु, ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय में, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जैसा कि विहित किया जाये, इसके वार्षिक प्रतिवेदन में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का संपूर्ण विवरण होगा एवं इसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रेषित की जाएगी. — वार्षिक प्रतिवेदन.

16. राज्य शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के साथ इसमें अंतर्विष्ट, अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाहियों का ज्ञापन तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. — वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना.

17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में "लोक सेवक" माना जाएगा. — आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों का लोक सेवक माना जाना.

18. छत्तीसगढ़ी भाषा से सम्बद्ध विषयों पर राज्य शासन, आयोग से परामर्श कर सकेगा. — राज्य शासन का आयोग से परामर्श करना.

19. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी. — नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए समस्त नियम, इनके बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य शासन का यह दृष्टिकोण है, कि राज्य की परम्परा की वैचारिकता और राज्य की भाषायी विविधता के परिरक्षण, प्रचलन और विकास करने तथा इसके लिये भाषायी अध्ययन, अनुसंधान तथा दस्तावेज संकलन, सृजन तथा अनुवाद, संरक्षण, प्रकाशन, सुझाव तथा अनुशंसाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी पारम्परिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु शासन में भाषा के उपयोग को उन्नत बनाने के साथ-साथ राज्य के बाहर इसे पहचान दिलाने एवं वैधानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए विधेयक "छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग" का गठन करना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 28 जुलाई, 2010

बृजमोहन अग्रवाल
संस्कृति मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 11 में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानत: रुपये 54,11,000/- (रुपये चव्वन लाख, ग्यारह हजार मात्र) केवल का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आएगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 के खण्ड 19 के अधीन राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, लेकिन यह सामान्य स्वरूप की है और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत ही प्रयोग में लाई जा सकती है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.